

# फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन के लिए राज्य मॉडल उपविधि



नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

#### FSTP/Co-Treatment Plants का संचालन

प्रेषक.

निदेशक, नगर निकाय, उ० प्र0, गोमती नगर विस्तार सेक्टर - 7 लखनऊ ।

सेवा में.

- 1. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ० प्र०।
- 2. समस्त महाप्रबन्धक जलकल, नगर निगम, उ० प्र० ।

🏸 🖫 (ग र 3) समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ० प्र० ।

पत्रांकः ४२३/०।/ नगरीय प्राविक्षण /२०२३

दिनांक:07नवम्बर, 2023

विषय:-उत्तर प्रदेश की सभी नगरीय निकायों में फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन उपविधियों (FSSM Bye-Laws) के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश में शहरों के सतत विकास एवं स्वच्छ पर्यावरण के लिए प्रभावी फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन (FSSM) को सुनिश्चित करने के लिए सभी नगरीय निकायों की भूमिका महत्वपूर्ण है। शहरी स्तर पर FSSM सेवाओं के लिए एक मजबूत regulatory framework आवश्यक है, जिसमें स्पष्ट रूप से निकाय, नागरिकों और अन्य stakeholders की भूमिकाएं और उत्तरदायित्व (roles & responsibilities) परिभाषित हों। अतएव, यह अनिवार्य है कि इन महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने के लिए मज़बूत उपविधियों को निकाय स्तर पर तैयार कर कार्यान्वित किया जाए।

नेशनल फीकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट पॉलिसी 2017, उत्तर प्रदेश सेप्टेज मैनेजमेंट पॉलिसी 2019 और स्वच्छ भारत मिशन (अर्बन) 2.0 के दिशानिर्देशों के संदर्भ में नगर विकास विभाग ने Centre for Science and Environment (CSE) के सहयोग से 'फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन के लिए राज्य उपविधियों' (State Model FSSM Bye-Laws) को विकसित किया है।

अतः उक्त के संबंध में आपसे अपेक्षा की जाती है कि 'फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन के लिए राज्य मॉडल उपविधि' को अपने स्थानीय आवश्यकता के अनुसार संशोधित कर, अधिसूचित (notify) करते हुए अग्रतर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन के लिए राज्य मॉडल उपविधि (State Model Bye-Laws Faecal Sludge and Septage management)

(डॉ नितिन बंसल)

निदेशक।

## फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन के लिए राज्य मॉडल उपविधि

#### अधिसूचना शहर का नाम (दिनांक) \_\_\_\_\_20xx

संख्या \_\_\_\_\_\_ उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, [निकाय का नाम] द्वारा घर/भवन/प्रतिष्ठान में ऑनसाइट सेनिटेशन सिस्टम (सेप्टिक टैंक/पिट/सोख्ता) के संग्रहण, ढुलाई और उससे जुड़े मामलों के लिए निम्नलिखित उपविधियां बनाई गयी हैं।

प्राधिकारः ये उपविधि निम्नलिखित प्रावधानों को लागू करने वाला सक्षम ढांचा हैः

- (क) उत्तर प्रदेश राज्य सेप्टेज प्रबंधन नीति, 2019
- (ख) फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन की राष्ट्रीय नीति, 2017
- (ग) सीपीएचईईओ मैनुअल ऑन सीवरेज और फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन 2013
- (घ) मॉडल निर्माण उपविधि, 2016 तथा अन्य लागू भवन उपविधि
- (ङ) प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऐज़ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन ऐक्ट 2013
- (च) आईएस कोड 2470 भाग। और॥, 1985 (1996 रीअफर्म्ड) सेप्टिक टैंक संस्थापित करने के लिए कार्य व्यवहार संहिता
- (छ) केंद्रीय कानून, नियम और विनियमन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
- (ज) जल (प्रदूषण पर रोक और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
- (झ) उत्तर प्रदेश के राजकीय कानून जैसे जल और स्वच्छता संबंधी, जैसे कि यू.पी. जल आपूर्ति एव सीवरेज अधिनियम, 1975, उत्तर प्रदेश जल संस्थान जलापूर्ति एवं सीवरेज उपविधि, 2008; तथा अन्य कोई प्रासंगिक राजकीय कानून।

#### क्षेत्र (स्कोप)

ये उपविधि [निकाय का नाम] की प्रशासिनक सीमा के भीतर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन में संलग्न सभी हितधारकों पर लागू होते हैं,जिसमे सेप्टिक टैंक वाले घरों के मालिक एवं उपयोगकर्ता, सेप्टिक टैंक सफाई ऑपरेटर तथा निकाय के उपचार और निस्तारण में संलग्न जवाब देह एजेंसियां शामिल हैं। यह उपविधि सभी सार्वजिनक, निजी, आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत, प्रस्तावित, नियोजित या निकाय [निकाय का नाम] भवनों पर लागू होगा।

#### अध्याय - I

## प्रारंभिक

#### 1. संक्षेप - शीर्षक, विस्तार और आरंभ

- (i). इन उपविधियों को '[निकाय का नाम] फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन (FSSM) उपविधि, 20xx' कहा जा सकता है।
- (ii). ये गजट में प्रकाशित होने की तारीख से क्रियान्वित होंगे और निकाय की प्रशासकीय परीसीमा के अंदर लागू होंगी।

#### 2. परिभाषा

- (i). "एक्सेस कवर" का अर्थ है निरीक्षण, सफाई तथा अन्य रखरखाव कार्य हेतु सेप्टिक टैंक/ पिट में अंदर जाने के लिए छेद या रास्ता जिसको ढक्कन या आवरण से बंद किया हो;
- (ii). "अपेलेट बॉडी" निकाय, शहरी स्वच्छता समिति, और या, कोई अन्य संबंधित प्रासंगिक अधिकृत समिति के सदस्यों से मिल कर बना एक समूह है जिसका उद्देश्य उपविधियों से संबंधित किसी भी विवाद, अपील या मृद्दे का संबोधन करना है;
- (iii). **फीकल स्लज या सेप्टेज का को-ट्रीटमेंट"** उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें सीवेज उपचार सुविधा (एसटीपी) में, शहरों के सीवर के जिएए से ले जाने वाले घरेलू सीवेज के उपचार के अलावा, विभिन्न ऑन-साइट स्वच्छता प्रणालियों के फीकल स्लज और सेप्टेज (एफएसएस) का भी उपचार किया जाता है;
- (iv). "को-ट्रीटमेंट फैसिलिटी" का तात्पर्य है ऐसा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जिसमें फिकल स्लज के उपचार के लिए पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध हो;
- (v). "विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार (DWWT) प्रणाली" का तात्पर्य है ऐसी पद्धित से है जिसमें निजी आवासों, आवासीय संकुलों, एकल समुदायों, उद्योगों, संस्थानों या उत्पादन स्थल के निकट अपशिष्ट जल का संग्रहण, उपचार किया जाता है और निस्तारण/ दुबारा इस्तेमाल योग्य बनाया जाता है। ये प्रणाली अपशिष्ट जल के तरल और ठोस दोनों घटकों के लिए प्रयुक्त होते हैं;
- (vi). "नियुक्त अधिकारी" निकाय का ऐसा अधिकारी जिसे (नगर आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी) द्वारा लाइसेंस जारी करने के लिए अथवा उसे सौंपे गए किसी अन्य कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया हो;

- (vii). "डिस्लिजिंग" का तात्पर्य है लाइसेंसधारी ऑपरेटर अथवा निकाय के प्रशिक्षित सफाई कर्मचारियों द्वारा सेप्टिक टैंक/पिट से फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने की प्रक्रिया;
- (viii). "निस्तारण" का तात्पर्य है फीकल स्लज एवं सेप्टेज का अधिसूचित स्थान तक परिवहन एवं निर्वहन;
- (ix). "एफ़्लूयंट" का तात्पर्य है सेप्टिक टैंक से निकलने वाला अधिप्लावी (द्रव);
- (x). "फीकल स्लज एवं सेप्टेज" का तात्पर्य है सेप्टिक टैंक अथवा ऑनसाइट सेनिटेशन प्रणालियों में जमी हुई या नीचे बैठी हुई सामग्री;
- (xi). "फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (FSTP)" का तात्पर्य है सुरक्षित निस्तारण और दुबारा इस्तेमाल के निर्धारित मानदंड के अनुदार ठोस और तरल घटकों को हटाने वला स्वतंत्र फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपचार संयंत्र:
- (xii). "ग्रे वाटर" का तात्पर्य है घरेलू अपशिष्ट जल से है जिसमें मानव मल नहीं होता। यह घर की सफाई से निकला पानी, रसोई और स्नानघर का पानी हो सकता है:
- (xiii). "होस्ट यूएलबी" का तात्पर्य है वह निकाय जो उपचार संयंत्र के संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होता है और जो संयंत्र में निकटवर्ती निकाय के फीकल स्लज एवं सेप्टेज को उपचार की अनुमित देता है। अपनी अधिकतम क्षमता को हासिल करने तक होस्ट निकाय'होस्ट' बना रहेगा:
- (xiv). "**ईनसैनिटरी लेट्रिन्स**" का तात्पर्य उन शौचालयों है जहां रात की मिट्टी (मल-कीचड़) को किसी मानव या जानवरों द्वारा ढोया या हटाया जाता है, तथा मल कीचड़ को खुली नालियों या गह्ढों में डाल दिया जाता है;
- (xv). "लाइसेंस" का अर्थ है किसी व्यक्ति को दी गई लिखित अनुमित है, जिसकी मंशा फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन सेवाओं को पूरा करना होती है, जिसमें उद्देश्य, समय अवधि, नाम, पता और मार्ग आदि का उल्लेख निकाय के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर के अंतर्गत किया जाता है:
- (xvi). "**लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर**" (लाइसेंसधारी) का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसे फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने हेतु निकाय द्वारा पंजीकृत किया गया हो;
- (xvii). "**अधिसूचित स्थान**" का अर्थ होता है निकाय द्वारा परिभाषित और निर्धारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज की आपूर्ति और निस्तारण का स्थान;
- (xviii). "**ऑनसाइट सेनिटेशन सिस्टम (ओएसएस)**" ऐसी स्वच्छता प्रणाली है जो पूरी तरह से निजी/ व्यावसायिक/सरकारी आवास और उसके आस-पास के भुखंड पर स्थित होता

- है। आमतौर पर, भूखंड पर स्वच्छता 'घरेलू शौचालय' के समान है, लेकिन इसमें एक ही भूखंड पर एक साथ रहने वाले कई परिवारों द्वारा साझा की जाने वाली सुविधाएं हो सकती हैं;
- (xix). "**ऑपरेटर**" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने और उसके परिवहन के व्यवसाय में संलग्न है;
- (xx). "**मालिक**" का अर्थ है वह व्यक्ति जो निकाय की सीमा के भीतर स्थित किसी भवन या उसके किसी हिस्से का मालिक हो;
- (xxi). "व्यक्ति" का तात्पर्य एक एसे व्यक्ति से है एक एजेंसी, एक ट्रस्ट, एक समाज, एक फर्म या एक कंपनी को संदर्भित करता है प्रासंगिक कानूनों के तहत निगमित कंपनी, व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्ति का एक निकाय चाहे निगमित हो या नहीं;
- (xxii). "सैनिटरी लेट्रिन्स" का अर्थ होगा सेप्टिक टैंक अथवा कोई ओएसएस अथवा भूमिगत सीवरेज प्रणाली से जुड़े शौचालय और मूत्रालय के प्रकार और बनावट जो मल (अपचित मलमूत्र) के सुरक्षित परिरोधन और निस्तारण को सुनिश्चित करता हो, जिनमें से प्रत्येक का निर्माण निकाय द्वारा जारी किए गए डिजाइन विनिर्देश और दिशानिर्देश के अनुरूप नियमानुसार किया गया हो;
- (xxiii). "सेप्टिक टैंक" भूमिगत निर्मित टैंक है जो आंशिक रूप से ठोस जमाव और अवायवीय पाचन के संयोजन द्वारा आंशिक रूप से फीकल स्लज एवं सेप्टेज का उपचार करता है, जिसका निर्माण आईएस कोड 2470 के डिजाइन विनिर्देश या निकाय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है।
- (xxiv). "शेड्यूल्ड डीस्लजिंग" का अर्थ है केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (सीपीएचईईओ) की अनुशंसाओं के आधार पर 2 3 वर्षों के अंतराल पर ओएसएस को नियमित रूप से खाली कराने की प्रक्रिया।
- (xxv). "सेप्टेज" का अर्थ है अच्छी तरह डिजायन किए हुए सेप्टिक टैंक से निकलने वाला फीकल स्लज एवं सेप्टेज।
- (xxvi). "सीवेज" का अर्थ है ब्लैक और ग्रे पानी का मिश्रण है जिसे सीवरों के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है। इसे वेस्ट वॉटर/ यूज्ड वॉटर भी कहा जाता है।
- (xxvii). "**सीवर**" वो प्रणाली (सीवर लाइन / पाइप लाइन) जिसके माध्यम से समुदाय के अपशिष्ट जल को बहाया जाता है।
- (xxviii). "सीवेज पम्पिंग स्टेशन" का अर्थ होता है शहर में सीवर नेटवर्क के पंप-हाउस का भंडारण और संग्रह कक्ष, जहाँ से सीवेज यानी मल जल या अपवाह को निर्दिष्ट स्थान पर पंप करके भेजा जाता है।

- (xxix). **"सीवेज उपचार संयंत्र"** का अर्थ उस स्थान से है जहां सुरक्षित निस्तारण और दुबारा उपयोग के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार मल जल का उपचार किया जाता है।
- (xxx). "निकाय के प्रशिक्षित सफाई कर्मी" का अर्थ है निकाय के कर्मचारी या निकाय लाइसेंसी वैक्यूम टैंकर का इस्तेमाल कर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सफाई करने या उसे खाली करने और ढुलाई के उद्देश्य के लिए निकाय द्वारा नियुक्त और प्रशिक्षित अनुबंधित अथवा काम पर लिए गए कर्मचारी।
- (xxxi). "परिवहन या ढुलाई" का अर्थ है लाइसेंस धारी वाहन के माध्यम से (एफएसएस) निकालने के स्थान से निर्दिष्ट निस्तारण स्थल तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सुरक्षित ढुलाई।
- (xxxii). "उपचार" का अर्थ है प्रदूषण को कम करने या रोकने के लिए एफएसएस/मल जल/ अपशिष्ट जल के भौतिक, रासायनिक या जैविक और रेडियोलॉजिकल विशेषता या संरचना को बदलने के लिए तैयार की गई कोई वैज्ञानिक पद्धति या प्रक्रिया।
- (xxxiii). "**उपचार सुविधा**" का अर्थ होगा निकाय में विनिर्देशों और दिशानिर्देशों के आधार पर बने अधिसूचित फीकल स्लज उपचार और निस्तारण हेतु निर्मित स्थल
- (xxxiv). "यूएलबी क्लस्टर" का अर्थ होगा होस्ट निकाय और इसके निकटस्थ यूएलबी/ग्राम पंचायत, जिन्हें शहर में स्थित उपचार संयंत्र में एफएस के सुरक्षित निस्तारण के लिए होस्ट निकायके साथ एमओयू की आवश्यकता होगी।
- (xxxv). "निकाय पंजीकृत (वैक्युम) टैंक" का अर्थ ऐसे वैक्यूम टैंकर से है, जिसे निर्दिष्ट उद्देश्य पूरा करने हेतु निकाय द्वारा विधिवत पंजीकृत कराया गया हो, जिसे निकाय द्वारा निकाय क्षेत्र में फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने हेतु निकाय द्वारा पंजीकृत किया गया हो।
- (xxxvi). "निर्वात टैंकर (वैक्यूम टैंकर)" ऐसा वाहन होता है जिसमें एक पंप और टंकी होती है, जिसे साइट पर स्वच्छता प्रणालियों से फीकल स्लज एवं सेप्टेज को वैक्यूम की मदद से खींचने के लिए बनाया गया है। इन वाहनों का उपयोग सेप्टिक टैंक से निकाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज के परिवहन के लिए भी किया जाता है।
- (xxxvii). "अपशिष्ट जल (वेस्ट वॉटर)/यूज्ड वॉटर " का अर्थ घरेलू/व्यावसायिक अथवा अन्य मानवीय गितविधियों से निकले तरल प्रवाह से है, जिसमें शौचालय, रसोई और सफाई कार्य से निकला पानी, लेकिन इसमें विनिर्माण और औद्योगिक गितविधियों से निकलने वाला पानी शामिल नहीं है। आमतौर पर इस तरह के प्रवाह को वर्षा-जल नालियों के माध्यम से बहाया है, इस प्रकार इसमें तूफानी जल भी शामिल होता है।

(xxxviii). "**कर्मी**" का अर्थ है लाइसेंसधारी ऑपरेटर द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज की फीकल स्लज निकासी, ढुलाई और निस्तारण के लिए नियुक्त व्यक्ति।

सभी अन्य शब्द और अभिव्यक्ति जो इन उपविधियों में प्रयुक्त हुए हैं और जो इन उपविधियों में परिभाषित नहीं किए गए हैं और जो यहां ऊपर भी परिभाषित नहीं हैं लेकिन जिन्हें अधिनियम में अथवा वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून में परिभाषित किया गया है उनका अर्थ वही होगा जो अधिनियम या कानून के तहत क्रमशः उन्हें प्रदान किया गया है और उसके अभाव में उनका अर्थ वही होगा जो जलापूर्ति और मल जल उपचार/निस्तारन उद्योग में आमतौर पर समझा जाता है।

#### अध्याय - II

## अपशिष्ट जल का प्रबंधन और निस्तारण

#### 3. परिसर में अपशिष्ट जल का प्रबंधन और निस्तारण

निकाय में प्रत्येक संपत्ति के मालिक/अधिग्राही (जिसमें अन्य के अलावा शामिल है आवासीय और व्यावसायिक, प्रस्तावित या वर्तमान) यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि उनके परिसर से अपशिष्ट जल को निम्निलिखित तरीके से किसी भी या किसी के संयोजन के माध्यम से उपचार या निस्तारण किया जाता है, अर्थात्ः

- (i). यदि घर की सीमा से 30 मीटर की दूरी या उतनी दूरी जितनी दूर से सीवर कनेक्शन घर तक आ सकता हो, या घर का मालिक कनेक्शन लेने के लिए कोई शुल्क अथवा कोई और जरूरत के अनुसार प्रक्रिया पूर्ण करा कर करे।
- (ii). अपशिष्ट जल को एक निकाय अनुमोदित समुदाय या स्थानीय क्षेत्र उपचार सुविधा तक पहुंचाया जाता है।
- (iii). यदि संपत्ति के 30 मीटर में कोई सीवर नहीं है, तो मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि अपशिष्ट जल को साइट की उपचार प्रणाली में ले जाया जाए, जिसमें सेप्टिक टैंक या ट्विन-पिट या सोक-पिट या साइट पर स्थित आईएस कोड 2470 भाग 1 और 2 के अनुसार निर्मित अन्य प्रणाली शामिल हो सकती हैं। (देखें परिशिष्ट-1)।
- (iv). वे परिपत्तियाँ जो प्रतिदिन X किलो लीटर से अधिक अपशिष्ट जल उत्पन्न करती हैं और उनके परिसर के भीतर XX वर्ग मीटर से अधिक खुला क्षेत्र है, तो उसमें एक विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली स्थापित की जाए ताकि संपत्ति में एकत्र अपशिष्ट जल का उपचार किया जा सके। संपत्ति के मालिक द्वारा बागवानी / फ्लिशंग के लिए उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग किया जाए ताकि ताजे पानी पर निर्भरता कम हो।

#### अध्याय - ।।।

## ऑनसाइट स्वच्छता प्रणालियाँ

#### 4. मालिक या अभिग्राही के कर्त्तव्य और अनुपालन

निकाय के दायरे में स्थित किसी भवन या उसके हिस्से का मालिक या अभिग्राही, जैसा भी मामला हो, इन उपविधियों के लागू होने की तारीख से निम्नलिखित दायित्वों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होंगेः

उपविधियों के अनुसार प्राधिकार द्वारा जारी सूचना में निर्दिष्ट समय के भीतर वह ऐसे भवन में इंसेनिटरी लेट्रिन्स उपयोग को बंद कर देंगे और निकटवर्ती सामान्य नालियों या खुले भूखंड या जल निकायों के सभी निर्गम को भी बंद कर देंगे तथा अपने स्वामित्व वाले या अपने उपयोग किए जाने वाले भवनों में केवल सेनिटरी लेट्रिन्स का निर्माण, संचालन और उनका रखरखाव करेंगे।

#### 5. ओएसएस का डिजाइन, निर्माण और रखरखाव

- (i). ओएसएस का डिजाइन, निर्माण और उनकी स्थापना 'आईएस कोड 2470 भाग 1 और 2' के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा, या इसके समय समय पर किए गए संशोधित प्रावधान अथवा [निकाय का नाम] या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी अन्य स्वीकृत उपयुक्त अभियांत्रिकी कार्य संहिता द्वारा संशोधित किया गया हो।
- (ii). ओएसएस से जुड़ी संपत्ति के मालिक/निवासी ऐसे ओएसएस से निकलने वाले फीकल स्लज के अनुरक्षण, रखरखाव और सुरक्षित निस्तारण के लिए जिम्मेदार होंगे।
- (iii). परिसर का मालिक [निकाय का नाम] द्वारा निर्धारित लागत के भुगतान पर नियमित आधार पर (प्रत्येक 2-3 वर्ष में) फीकल स्लज साफ करने का काम करेगा। (अथवा जैसा कि परिशिष्ट 2 में सुझाया गया है)।
- (iv). परिसर का मालिक सुनिश्चित करेगा कि कंटेनमेंट संयंत्र के खराब या दोषपूर्ण निर्माण के कारण फीकल स्लज के खुली जगहों में या नाली में गिरने से पर्यावरण प्रदूषित नहीं हो।
- (v). परिसर के मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि सेप्टिक टैंक को लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या [निकाय का नाम] के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मियों द्वारा पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ यांत्रिक रूप से साफ किया जाता है और हाथ से सफाई ना हो।

- (vi). नियमों के पालन के लिए [निकाय का नाम] या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को ही परिसर का निरीक्षण करने का अधिकार है। [निकाय का नाम] समय-सीमा के भीतर अपने खर्चे पर अपशिष्ट जल प्रबंधन और निस्तारण से संबंधित नियम उल्लंघन की स्थिति में सुधार / संशोधन के लिए परिसर के मालिक के लिए चेतावनी जारी कर सकता है।
- (vii). [निकाय का नाम] अपने विवेक पर, गैर-अनुपालन प्रणालियों के रेट्रोफिटिंग / सुधार के लिए संपत्ति मालिकों को प्रोत्साहन प्रदान कर सकता है और वैकल्पिक प्रणालियों का सुझाव देने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल कर सकता है।

#### अध्याय IV

## फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण और ढुलाई के लिए लाइसेंस और पंजीकरण

#### 6. निकाय द्वारा जारी किया जाने वाला लाइसेंस

- [निकाय का नाम] वर्तमान में अपनी प्रशासिनक सीमाओं में फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने की सेवाएँ प्रदान करने वाले निजी ऑपरेटरों के स्वामित्व वाले या किराए पर लिए गए वैक्यूम टैंकरों को पंजीकृत करेगा।
- ii. [निकाय का नाम] अपने कर्मियों सिंहत ओपेरटरों के लिए आईईसी और क्षमता निर्माण गितविधियाँ करेगा, जहां उन्हें फीकल स्लज एवं सेप्टेज को सुरक्षित तरीके से खाली करने और ढुलाई के लिए उपयुक्त तरीके से इस्तेमाल करने के लिए जागरुक और प्रशिक्षित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण पंजीकरण की तिथि के 1 महीने के भीतर किया जाएगा।
- iii. जब ऑपरेटर को लगे कि वह लाइसेंसिंग के मानदंडों के अनुपालन में सफल है, तो वह इन उपविधियों के फॉर्म 1 (परिशिष्ट-4) की मदद से इसके लिए आवेदन कर सकता है। इसे प्रशिक्षण के पूरा होने के 2 महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा।
- iv. [निकाय का नाम] ऑपरेटर द्वारा अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज निकालने और फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई के लिए लाइसेंस जारी करेगा।
- ए. इन विनियमों के फॉर्म 2 (पिरिशिष्ट-5) में निर्धारित प्रारूप के अनुसार लाइसेंस जारी किया जाएगा, और यिंद इसे पहले रद्द नहीं किया जाता है तो जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध होगा, और अविध समाप्त होने पर निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर लाइसेंसधारी ऑपरेटर द्वारा नियमों और शर्तों की पूर्ति के अधीन नवीकरणीय होगा।

#### 7. लाइसेंस जारी करने की शर्तें

- i. लाइसेंस हासिल करने के पात्र आवेदक का अर्थ इन उपविधियों के खंड 2 (xxi) में परिभाषित "व्यक्ति" से होगा।
- ii. आवेदक को उचित सक्शन/वैक्यूम और डिस्चार्जिंग व्यवस्था के साथ रिसाव-मुक्त, गंध और छिलकाव रहित परिवहन वाहन का मालिक होना चाहिए या ऐसा वाहन उसे किराए पर लेना चाहिए।

- iii. (शहर का नाम) में परिचालन के लिए वाहन का परिवहन विभाग द्वारा जारी वैध परिमट या पंजीकरण प्रमाणपत्र होगा।
- iv. आवेदक अपने वैक्यूम टैंकर को [निकाय का नाम] के साथ पंजीकृत करेगा।
- आवेदक का यह उत्तरदायित्व होगा कि उसके स्वामित्व वाले/िकराए पर लिए गए वैक्यूम टैंकर इन विनियमों के खंड 16 में दिए गए मानदंडों को पूरा करते हैं।
- vi. आवेदक का यह भी उत्तरदायित्व होगा कि *[निकाय का नाम]* या उसके द्वारा किराए पर ली गई एजेंसी द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त कर्मी पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हैं।
- vii. आवेदक द्वारा कर्मियों को सुरक्षा उपस्कर और अन्य सुरक्षात्मक उपकरणों से लैस रखा जाएगा, जो कि सुरक्षित रूप से फीकल स्लज निकालने, उसकी ढुलाई करने और अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करने के लिए आवश्यक हैं। जरूरी पीपीई इस उपनविधि के परिशिष्ट- 3 में दी गई सूची के अनुसार होगा।

#### 8. लाइसेंस के लिए आवेदन

फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने, परिवहन और निपटान हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन एफएसएस का निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाएगा, जो इन उपविधियों के फॉर्म 1 के रूप में संलग्न है, जिसमें नियमों और शर्तों सिहत ऐसे दस्तावेजों के साथ जैसा कि निकाय के नामित अधिकारी (परिशिष्ट-4 देखें) द्वारा निर्धारित किया गया हो। [निकाय का नाम ] द्वारा सत्यापन एवं प्रशिक्षण के बाद ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का संग्रहण, परिवहन एवं निपटन का लाइसेंस ऑपरेटर को दिया जायेगा (फॉर्म-2, परिशिष्ट-5)।

#### 9. लाइसेंस के लिए आवेदन करने हेत् आमंत्रण

लाइसेंस के लिए आवेदन करने हेतु [निकाय का नाम] द्वारा संभावित आवेदकों को आमंत्रित करते हुए समय-समय पर अपनी वेबसाइट पर और प्रमुख समाचार पत्रों तथा अन्य प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक विज्ञापन दिया जाएगा।

#### 10. लाइसेंस के लिए पंजीकरण शुल्क

नए निजी ऑपरेटरों (फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने वाला) के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु पंजीकरण पूरा करने के लिए समय-समय पर [निकाय का नाम] द्वारा निर्धारित पंजीकरण शुल्क (10.1 देखें) लिया जा सकता है। यह शुल्क लौटाया नहीं जाएगा और इसका भुगतान इलेक्ट्रॉनिक या नगद स्वरूप में किया जा सकता है।

### 10.1 पंजीकरण के शुल्क और वैधता

- (i). ऑपरेटर के रूप में नए निजी ऑपरेटरों को पंजीकृत कराने हेतु पंजीकरण शुल्क <u>रु. XX</u>
- (ii). पंजीकरण की वैधता पंजीकृत निजी ऑपरेटर लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क जमा करके <u>अधिकतम X वर्षों</u> तक शहर को अपनी सेवा दे सकता है। यदि निजी ऑपरेटर लाइसेंस नवीनीकरण करने में विफल रहता है तो उसका पंजीकरण स्वतः रद्द हो जाएगा और यदि वह शहर की सीमाओं में फीकल स्लज हटाने वाली सेवाओं को फिर से शुरू करना चाहता है तो उसे पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
- (iii). लाइसेंस नवीनीकरण शुल्कः <u>रु. X X</u>

#### 11. लाइंसेसधारी ऑपरेटर का विज्ञापन

[निकाय का नाम] द्वारा समय-समय पर अपनी वेबसाइट के साथ-साथ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लाइंसेसशुदा ऑपरेटर का व्यापक विज्ञापन दिया जाएगा।

#### 12. जागरुकता अभियान

इन उपविधियों के बारे में जागरूक करने के साथ-साथ फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सफाई, ढुलाई और निस्तारण हेतु *[निकाय का नाम]* द्वारा लोगों को केवल लाइंसेसधारी ऑपरेटर को शामिल करने की आवश्यकता के बारे में जागरूक बनाने का अभियान चलाए जाएगा।

#### अध्याय V

## फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निष्कासन/ संग्रहण (डीस्लजिंग) और परिवहन (ढुलाई)

#### 13. संपत्ति के मालिक या अभिग्राही द्वारा केवल लाइंसेसधारी ऑपरेटर को काम पर रखा जाएगा

- (i). भवन के प्रत्येक मालिक/अभिग्राही का यह दायित्व होगा कि वह फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और ढुलाई के लिए [निकाय का नाम] के लाइसेंसधारी ऑपरेटरों अथवा प्रशिक्षित सफाई कर्मियों की ही सेवाएं लें।
- (ii). मालिक/अधिभोगी डीस्लजिंग सेवा से सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी ऑपरेटर को प्रदान करेगा (परिशिष्ट-6 देखें)।

#### 14. फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी/ढुलाई का शुल्क

- (i). समय-समय पर अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और ढुलाई का शुल्क निकाय का नामित अधिकारी द्वारा अधिसुचित किया जाएगा (परिशिष्ट 2 देखें)।
- (ii). शहर में जब कभी [निकाय का नाम] द्वारा शेड्यूल्ड डीस्लजिंग" पालन करने का फैसला किया जाता है, तो फीकल स्लज निकासी शुल्क को 'सफाई शुल्क' से बदल दिया जाएगा या इसे संपत्ति/जल कर में शामिल किया जा सकता है, जिसे [निकाय का नाम] द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा।
- (iii). लाइसेंस धारी ऑपरेटर सम्पत्ति के मालिक/अभिग्राही से निकाय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित शुल्क से अधिक राशि नहीं वसूलेगा।
- (iv). फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी और ढुलाई कार्य के लिए अधिसूचित शुल्क से अधिक राशि मांगने पर लाइसेंस धारी ऑपरेटर का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और इन उपविधियों के उल्लंघन के लिए निर्धारित जुर्माना लगाया जाएगा।

### 15. फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई के वाहन

(i). फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और ढुलाई कार्य केवल लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या *[निकाय का नाम]* के प्रशिक्षित सफाई कर्मियों द्वारा ही किया जाएगा।

- (ii). आवश्यक शर्तों के पूरा नहीं होने पर भी वैक्यूम टैंकर को 1 वर्ष की अवधि के लिए पंजीकृत कराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, संबंधित ऑपरेटर को निश्चित समय सीमा के भीतर वैक्यूम टैंकर को समुन्नत अपग्रेड करना चाहिए।
- (iii). डीस्लजिंग वाहनों का परिचालन फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सुरक्षित और कुशल ढुलाई के लिए समय-समय पर *[निकाय का नाम]* द्वारा चिह्नित निर्दिष्ट मार्गों पर ही किया जाएगा।
- (iv). ऑपरेटर को जारी लाइसेंस की एक प्रति और [निकाय का नाम] वाहन का पंजीकरण नंबर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई हेतु प्रयुक्त वाहन पर स्पष्टता से प्रदर्शित किया जाएगा।
- (v). वाहन/टैंकर को पीले रंग से पेंट किया जाएगा जिस पर लाल रंग में (सावधानी के लिए) "septic tank waste" (अंग्रेजी में) और "मलकुंड अपशिष्ट" (हिंदी में) लिखा होगा।
- (vi). फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई में प्रयुक्त प्रत्येक वाहन में जीपीएस उपकरण (निकाय द्वारा प्रदत्त) लगाया जाएगा और इसका एक्सेस अधिकार [नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी] और ऐसे वाहनों की ट्रैकिंग के लिए निकाय द्वारा अधिसूचित एजेंसी के पास होगा।

#### 16. ढुलाई के दौरान सावधानी

लाइसेंस धारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि निस्तारण के लिए डीस्लजिंग स्थल से अधिसूचित स्थान तक ढुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज से कोई रिसाव या छलकाव न हो।

### 17. दुर्घटना की स्थिति में बचावकारी उपाय

फीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन संचलन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिए किसी भी खतरे से बचने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिए।

#### 18. दुर्घटना की स्थिति में लाइसेंसधारी ऑपरेटर की जिम्मेदारी

किसी दुर्घटना या आपदा की स्थिति में लाइसेंसधारी ऑपरेटर किसी भी व्यक्ति, वाहन, संपत्ति या पर्यावरण को होने वाले किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए पूर्ण जिम्मेदार होगा और ऐसे में यदि किसी प्राधिकारी अथवा न्यायालय द्वारा पीड़ितों / उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को किसी प्रकार के क्षति शुल्क या मुआवजा प्रदान किए जाने का निर्णय दिया जाता है तो उसका भुगतान उसे ही करना होगा।

#### 19. नियुक्त कर्मियों के लिए सुरक्षा - उपाय

हाथ में रखकर इस्तेमाल होने वाले गैस-डिटेक्टर, गैस-मास्क, सुरक्षा उपकरण, ऑक्सीजन-सिलेंडर के साथ ऑक्सीजन-मास्क और प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स आदि के प्रावधान सिहत सभी सुरक्षा उपाय तथा प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट, 2013 में निर्दिष्ट ऐसे अन्य उपाय उपलब्ध कराने के लिए लाइसेंसधारी ऑपरेटर जिम्मेदार होगा।

#### 20. फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण

- (i). लाइसेंसधारी ऑपरेटर *[निकाय का नाम]* द्वारा समय-समय पर अधिसूचित स्थानों पर ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करेगा।
- (ii). लाइसेंस धारी ऑपरेटर इन उपविधि के फॉर्म 3 में निर्धारित विधिवत हस्ताक्षरित फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और निस्तारण फॉर्म, जो विधिवत रूप से भरा गया और हस्ताक्षरित हो, अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने के लिए नामित निकाय के अधिकारी के पास जमा करेगा (परिशिष्ट-6 देखें)।
- (iii). होस्ट यूएलबी ये सुनिश्चित करेगा की उपचार सुविधा पर यूएलबी क्लस्टर या ग्राम पंचायत का पंजीकृत ऑपरेटर ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करे।

#### 21. निकाय (उपचार सुविधा वाले) के अधिकार

- (i). निकाय किसी पास के निकाय या ग्राम पंचायतों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) (परिशिष्ट 7, फॉर्म-4) पर हस्ताक्षर करेगा और इसके तहत केंद्र पर उपलब्ध उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमित देने के लिए होस्ट यूएलबी बन जाएगा।
- (ii). [निकाय का नाम] होस्ट यूएलबी से जुड़े यूएलबी क्लस्टर की सीमा के अंदर काम करने वाले (निजी/सरकारी) ऑपरेटरों को उपचार सुविधा के परिचालन अविध, निस्तारण प्रक्रिया, टिपिंग शुल्क और निर्दिष्ट अविध के दौरान प्रतिबंधित किए गए वितरण मार्गों के बारे में सूचित करेगा।
- (iii). [निकाय का नाम] वैक्यूम टैंकर की गुणवत्ता और रखरखाव का निरीक्षण करेगा और उनपर नियंत्रण रखेगा।
- (iv). संग्रहीत किए जाने वाले और उपचार सुविधा पर ढोए जाने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज की गुणवत्ता का निरीक्षण [निकाय का नाम] द्वारा किया जाएगा।
- (v). होस्ट यूएलबी अन्य क्लस्टर यूएलबी या ग्राम पंचायत को फीकल स्लज एवं सेप्टेज की उस स्वीकार्य मात्रा के बारे में जानकारी देगा जिसे "उपचार सुविधा" में निस्तारित किया जा सकता है।
- (vi). एमओयू अवधि के किसी भी समय, यदि "होस्ट यूएलबी" को लगे कि क्लस्टर यूएलबी/ग्राम पंचायत से आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज को निस्तारित नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति आने से पहले होस्ट यूएलबी कम से कम 15 दिन पहले इसकी सूचना देगा।

#### 22. निकाय (बिना उपचार सुविधा वाला) के कर्त्तव्य

- (i). निकाय या ग्राम पंचायत [जिनके पास उपचार सुविधा नहीं है उस निकाय का नाम] होस्ट यूएलबी के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करेगा और होस्ट यूएलबी के पास उपलब्ध उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण के लिए क्लस्टर यूएलबी का सदस्य बनेगा।
- (ii). निकाय या ग्राम पंचायत (जिनके पास उपचार संयंत्र नहीं है) अपने प्रशासनिक क्षेत्र में काम करने वाले (निजी/सरकारी) ऑपरेटरों को उपचार सुविधा की कार्य अविध, निस्तारण प्रक्रिया,

टिपिंग शुल्क (यदि कोई हो) निकाय द्वारा निर्धारित निर्दिष्ट घंटों के दौरान विशिष्ट आपूर्ति मार्ग के जानकारी देंगे।

- (III). यदि निकाय होस्ट यूएलबी के क्लस्टर यूएलबी की स्पष्ट सीमा में नहीं है, तो निकाय उपचार के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए राज्य के पास पहुंच सकता है और फीकल स्लज एवं सेप्टेज के लिए एक अंतरिम निस्तारण स्थल विकसित कर सकता है।
- (iv). [निकाय का नाम] विनिर्दिष्ट वाहनों की गुणवत्ता और रखरखाव का निरीक्षण करेगा और उन पर नियंत्रण रखेगा।
- (v). होस्ट यूएलबी संग्रहीत किए जाने और निर्दिष्ट निस्तारण स्थल तक ढोए जाने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज की गुणवत्ता का निरीक्षण करेगा।
- (vi). यदि "होस्ट यूएलबी" की क्षमता क्लस्टर यूएलबी के फीकल स्लज एवं सेप्टेज को निबटाने के लिए कम पड़ जाता है, तो [निकाय का नाम] को एक नए "होस्ट यूएलबी" की खोज करनी चाहिए या नए "उपचार सुविधा" के निर्माण के लिए केंद्र के पास अनुरोध भेजना चाहिए।

#### 23. कर्मियों का प्रशिक्षण

लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की फीकल स्लज निकासी, ढुलाई और निस्तारण में तैनात कर्मचारियों के सावधिक प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी होगा।

#### 24. कर्मियों की नियमित स्वास्थ्य जांच

यह सुनिश्चित करने का दायित्व लाइसेंसधारी ऑपरेटर का होगा कि प्रत्येक नियुक्त कर्मी का साल में कम से कम एक बार स्वास्थ्य जांच होनी चाहिए और उसका रिकॉर्ड निकाय को दिया जना चाहिए, जिसमें विफल रहने पर लाइसेंसधारी ऑपरेटर को समय-समय पर अधिसूचित दंड का भुगतान करना पड़ सकता है।

#### 25. बीमा

लाइसेंसधारी ऑपरेटर द्वारा काम पर रखे गए किम्यों का प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट, 2013 और 2003 की रिट याचिका संख्या 583 (सफाई कर्मचारी आंदोलन तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य) में फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी, ढुलाई और निस्तारण की प्रक्रिया के दौरान दुर्घटना की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 27-03-2014 के आदेश के तहत पीड़ितों अथवा उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को दिए जाने वाले मुआवजे को कवर करने के लिए बीमा किया जाएगा।

### 26. लाइसेंस रद्द किया जाना

इन उपविधि सिहत हाथ से मैला ढोने वालों के रूप में रोजगार निषेध और उनका पुनर्वास एक्ट, 2013 के किसी भी प्रवधान के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस धारी ऑपरेटर समय-समय पर अधिसूचित दंड के भुगतान करने का भागी होगा, जिसमें लाइसेंस रद्द किया जाना और निष्पादन गारंटी का अपहार शामिल है जो शहरी स्वच्छता सिमित (CSC) अथवा विनिर्दिष्ट अधिकारी (अधिकारियों) की सिफारिश के मुताबिक होगा।

#### अध्याय VI

## फीकल स्लज एवं सेप्टेज का उपचार और पुनः उपयोग/निस्तारण

#### 27. उपचार/निस्तारण स्थल की पहचान

- (i). [निकाय का नाम] उस स्थल (स्थलों) की पहचान करेगा और सूचित करेगा जहां लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या [निकाय का नाम] के प्रशिक्षित सफाई कर्मी द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज का उपचार/निस्तारण किया जाएगा।
- (ii). उपचार सुविधा के अभाव में (*निकाय का नाम*), आस पास के होस्ट यूएलबी जिसमे सुचारू उपचार सुविधा हो, उनके साथ समझौता ज्ञापन करके उसके सुविधा का इस्तेमाल करेगा (फॉर्म 4 परिशिष्ट 7)
- (III). फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण हेतु [निकाय का नाम] के आसपास के क्षेत्र में "क्लस्टर यूएलबी" की अनुपस्थिति की स्थिति में, उपचार के बुनियादी ढांचे (खंड 28) के निर्माण तक एक अंतरिम निस्तारण योजना का विकल्प चुना जा सकता है।

#### 28. फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने के लिए अवसंरचना का निर्माण

[निकाय का नाम] जरूरी आधारभूत ढांचा तैयार करेगा (यदि अनुप्रयोज्य हो तो आदर्श उपचार संयंत्र की व्यवस्था होने तक अंतरिम उपचार बुनियादी ढांचा भी) और पंजीकृत वाहनों द्वारा लाए गए फीकल स्लज एवं सेप्टेज के उपचार/निस्तारण की सुविधा के लिए अधिसूचित स्थल या स्थलों पर आवश्यक उपकरण प्रदान करेगा।

#### 29. फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति

- (i). फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने और इसे संबंधित उपचार सुविधा में स्थानांतरित करने के लिए [निकाय का नाम] द्वारा प्रत्येक अधिसूचित स्थल पर पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों (लिंग तटस्थ) को नियुक्त किया जाएगा। [यदि निकाय के पास उपचार सुविधा है यानी होस्ट यूएलबी]
- (i). फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने और इसे अंतरिम "उपचार सुविधा" में स्थानांतरित करने या इसे "होस्ट यूएलबी" के "उपचार सुविधा" में भेजने के लिए निकाय प्रत्येक अधिसूचित स्थल पर पर्याप्त कर्मचारी (लिंग तटस्थ) नियुक्त करेगा। [यदि निकाय के पास उपचार सुविधा नहीं है यानी आप क्लस्टर यूएलबी का हिस्सा हैं]

#### 30. फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने का समय

[निकाय(या फिर यदि लागू हो तो होस्ट यूएलबी)] द्वारा नियुक्त कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक अधिसूचित स्थल पर समय-समय पर [निकाय(या होस्ट यूएलबी लागू हो)] द्वारा अधिसूचित अविध के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त किया जाएगा।

### 31. औद्योगिक अपशिष्ट जिनकी अनुमित नहीं है

अधिसूचित स्थल पर औद्योगिक अपशिष्ट वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण की अनुमित नहीं दी जाएगी।

#### 32. फीकल स्लज एवं सेप्टेज पर प्रशिक्षण

[निकाय का नाम] द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को अधिसूचित स्थल पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने और उपचार / निस्तारण करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

#### 33. उपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज का दुबारा इस्तेमाल

निकाय किसानों को अनुपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज के कृषि अनुप्रयोग के स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करेगा और उन्हें उपचार सुविधा से उपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज इस्तेमाल करने को प्रोत्साहित करेगा।

#### अध्याय VII

## प्रशासन और प्रवर्तन

#### 34. प्रशासन और प्रवर्तन

- (i). इन नियमों की प्रशासनिक और प्रवर्तक शक्तियाँ *[नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी]* अथवा नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी द्वारा विधिवत अधिकृत निकाय के अभिहित अधिकारी के पास रहेंगी।
- (ii). [निकाय का नाम] फीकल स्लज की निकासी, ढुलाई या उपचार की सेवाएं प्रदान करने के लिए समय-समय पर निर्धारित और अधिसूचित उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर फ़ीस) लगा सकता है।लागत वसूली सुनिश्चित करने के लिए,उपयोगकर्ताओं को इन सेवाओं के लिए भुगतान करना होगा।
- (iii). [निकाय का नाम] शहरी स्वच्छता समिति (CSC) का गठन करेगा जो निकाय प्रशासनिक क्षेत्र में समग्र फीकल स्लज एवं सेप्टेज का पर्यवेक्षण और निगरानी सुनिश्चित करेगा।
- (iv). [निकाय का नाम] फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी ढुलाई के लिए सुरक्षित तरीके सुनिश्चित करने के लिए एक इमर्जन्सी रिसपोंस सैनिटेशन यूनिट (ईआरएसयू) नियुक्त करेगा।

#### 35. जांच के लिए विशेष शक्ति

(v). इन उपविधियों के प्रभावी तरीके से लागू करने और प्रवर्तन के उद्देश्य से, [निकाय का नाम] के पास किसी भी समय किसी भी परिसर में, परिवहन वाहनों और फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपचार सुविधा के निरीक्षण की शक्ति होगी।

#### 36. नियम उल्लंघन और जुर्माना

- (i). इन उपविधियों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर व्यक्ति को नियम अनुपालन के लिए नोटिस भेजा जाएगा।
- (ii). किसी भी व्यक्ति पर इन नियमों के तहत दंडात्मक प्रावधान लागू होंगे, यदि ऐसा व्यक्ति (क) इन उपविधियों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है या उसका पालन करने में विफल रहता है; (ख) इन विनियमों के तहत किसी भी शक्ति के प्रयोग या किसी कर्त्तव्य निष्पादन में निकाय के एक अधिकृत अधिकारी या अन्य अधिकारी के काम में बाधा डालता है, या हस्तक्षेप करता है; (ग) किसी भी ओएसएस/सीवर की हाथ से फीकल स्लज निकासी की प्रक्रिया संचालित कराता है।
- (III). इन उपविधियों के प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को परिशिष्ट-8 में उल्लेखित राशि की सीमा तक दंडित किया जाएगा और उचित कानून के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और जैसा भी मामला हो, दोषी पाए जाने की स्तिथि में एफ एस एस निकासी/ढोने के वाहन भी जब्त हो सकता है।

- (iv). जो कोई भी, किसी भी मामले में, जिसमें दंड परिशिष्ट-8 में स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया गया है, दोषी पाया जाता है, समय-समय पर [निकाय का नाम] द्वारा तय किए जाने वाले जुर्माने के साथ दंडनीय होगा।
- (v). संदेह दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इन उपविधियों की कोई भी बात किसी भी व्यक्ति को उस समय लागू किसी अन्य प्रासंगिक अधिनियम या इन उपविधियों के तहत दंडनीय कोई कार्य के लिए या चूक के लिए उसके तहत मुकदमा चलाने, दंडित करने से नहीं रोकेगा।

#### 37. अपील

निकाय के अधिकृत अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति इन उपविधियों के तहत नगर आयुक्त / अधिशासी अधिकारी के पास इस तरह के निर्णय के विरुद्ध अपील (इन उपविधियों के फॉर्म 5 में संलग्न प्रारूप में) कर सकता है (परिशिष्ट-9 देखें)

#### 38. विवाद समाधान उपविधि

इन उपविधियों के क्रियान्वयन के संदर्भ में उत्पन्न किसी भी विवाद का समाधान केवल शहर (निकाय का नाम) के अधिकार क्षेत्र वाले सक्षम न्यायालय द्वारा भारतीय कानुनों के तहत किया जाएगा।

#### 39. फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपविधियों में संशोधन

मानक प्रक्रिया का पालन करते हुए आवश्यकता पड़ने पर निकाय के पास फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपविधियों में संशोधन करने का अधिकार होगा।

### 40. संदर्भ प्रलेख

उपविधियों के क्रियान्वयन और लागू करने में सुविधा के लिए, इन विनियमों के परिशिष्ट-10 में प्रदान किए गए मानकों, रणनीतियों, मैनुअल, दिशानिर्देशों और नीतियों की एक सूची का संदर्भ लिया जा सकता है।

#### 41. डीस्लजर के लिए सम्मान/पुरस्कार

अच्छे काम और व्यवहार के लिए निकाय समय-समय पर प्रेरित करने और समग्र प्रशंसा हेतु अच्छे प्रदर्शन के लिए फीकल स्लज निकासी (डीस्लजिंग) ऑपरेटरों के लिए सम्मान/पुरस्कार समारोह आयोजित कर सकता है।

### 42. उपविधियों के लिए पूरक राज्य सरकार के निर्देश

इन उपविधियों के प्रवर्तन में कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संबंध में निर्देश जारी किया जा सकता है।

(खंड 2(xxiii), 3(iii) और 5(i) देखें)

### सेप्टिक टैंक का डिजाइन

सेप्टिक टैंक स्थापित करने के लिए बीआईएस कार्य संहिता प्रदान करता है (आईएस 2470 [भाग 1] 1985)। सेप्टिक टैंक के निर्माण के लिए यह कुछ मान्यताओं के आधार पर डिजाइन मानदंड प्रदर्शित करता है। छोटे और बड़े क्षेत्रों के लिए यह आबादी को ध्यान में रखते हुए डिजाइन इंस्टॉलेशन का विवरण प्रदान करता है। केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन, एमओएचयूए के अनुसंधान प्रभाग द्वारा प्रकाशित सीवरेज और मलजल उपचार पर मैनुअल के भाग ए में ओएसएस पर व्यापक डिजाइन मानक दिए गए हैं। प्रचलित और सुरक्षित साइट स्वच्छता के लिए इस खंड में तकनीकों के मानक डिजाइन बताए गए हैं। साथ ही, भारत में सेप्टिक टैंक को आमतौर पर काले पानी के लिए ही हाइलाइट किया जाता है।

### सेप्टिक टैंक के विनिर्देशन

• आयताकारः लंबाई और चौड़ाई का अनुपातः 2 से 4

गहराई: 1.0 से 2.5 मी. के बीच

• दो कक्षः पहला कक्ष कुल लंबाई का 2/3

• तीन कक्षः पहला कक्ष कुल लंबाई का आधा

• मशीन-छेद (मैनहोल) प्रत्येक कक्ष के ऊपर

• निर्विवाद, टिकाऊ और स्थिर टैंक

#### सेप्टिक टैंक का अनुशंसित आकार

(11 0 41 0 41 411 013			
उपयोगकर्ता की संख्या	लंबाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	द्रव की गहराई (सफाई अंतराल) (मी.)
			दो वर्ष
5	1.5	0.75	1.05
10	2	0.90	1.40
15	2	0.90	2.00
20	2.3	1.10	1.80

नोट 1: सेप्टिक टैंक का आकार कुछ अनुमानों (तरल प्रवाह) पर आधारित होता है, सेप्टिक टैंक के आकार का चयन करते समय सटीक गणना की जानी चाहिए। इस बारे में जानकारी के लिए, कृपया बीआईएस 2470 (भाग 1), 1985 देखें।

नोट 2: फ्री बोर्ड के लिए 300 मिमी का प्रावधान रखना चाहिए।


स्रोतः सीवरेज और मलजल उपचार पर मैनुअल - भाग एः इंजीनियरिंग। सीपीएचईईओ, 2012

#### सेप्टिक टैंक की क्षमता

टैंक की क्षमता फीकल स्लज निकासी की अवधि को समझने में उपयोगी होती है, सेप्टिक टैंक की क्षमता मापने में निम्नलिखित प्रमुख बिंदुएं है:

- अवसादन (सेडीमेंटेशन): निलंबित ठोस पदार्थों के पर्याप्त अवसादन के लिए प्रत्येक 10 ली/ मिनट की पीक दर से प्रवाह के लिए 0.92 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। आम तौर पर, अवसादन क्षेत्र की गहराई 0.3 मीटर होती है।
- फीकल स्लज डाइजेशनः डेऐजेशन जोन की क्षमता प्रति कैपिटा 0.032 होनी चाहिए
- फीकलस्लजऔरमलभंडारणःफीकलस्लजसफाईके1सालकेअंतरालकेलिए,एकफीकलस्लजभंडारण क्षमता 0.0002\*365 =0.073 m3/कैपिटा की आवश्यकता होती है।
- फ्री बोर्ड: कम से कम 0.3 मी.

#### सेप्टिक टैंक का मानक डिजाइन



सभी माप मिलीमीटर में (मिमी)

स्रोतः सीवरेज और सीवेज उपचार पर मैनुअल - भाग एः इंजीनियरिंग। सीपीएचईईओ, 2012

(खंड 14 (i) और 5 (iii) देखें)

## (निकाय का नाम) में फीकल स्लज निकासी और सेप्टेज की ढुलाई सेवा के लिए उपयोगकर्ता शुल्क (यूज़र फ़ीस) की सूची (अनुमानित)

क्र.सं.	श्रेणी	रु. में शुल्क की सीमा (प्रतिद्रिप 3000 लीटर तक)
1.	कच्चाघर/झोंपड़ी	350-450
2.	टिन शेड प्रकार काघर	750-850
3.	सभी अन्य घर (पक्काघर)	1200-1700
4.	दुकान	1500-1800
5.	सभी सरकारी/निजी कार्यालय	1800-2200
6.	बैंक	2000-2500
7.	सामुदायिक शौचालय/सार्वजनिक शौचालय	800-1200
8.	रेस्टोरेंट	2000-2500
9.	होटल/गेस्ट हाउस (01 से 10 कमरे)	2000-2500
10.	होटल/गेस्ट हाउस (11 से 20 कमरे)	2500-2800
11.	होटल/गेस्ट हाउस (20 से अधिक कमरे)	3000-3200
12.	धर्मशाला (1 से 25 कमरे)	1200-1600
13.	धर्मशाला (25 से अधिक कमरे)	1800-2200
14.	3-स्टार होटल	2800-3000
15.	5-स्टार होटल	3500-4000
16.	सरकारी स्कूल/कॉलेज (1000 छात्र तक)	1000-1200
17.	सरकारी स्कूल/कॉलेज (1000 से अधिक छात्र)	1200-1500
18.	निजी स्कूल/कॉलेज ( 1000 छात्र तक )	1800-2000
19.	निजी स्कूल/कॉलेज ( 1000 छात्र तक )	2500-3000
20.	2-व्हीलर वाहन शोरूम (बिना सर्विस सेंटर)	1800-2000
21.	2-व्हीलर वाहन शोरूम (सर्विस सेंटर के साथ)	2800-3000
22.	4-व्हीलर वाहन शोरूम (बिना सर्विस सेंटर)	2500-3000

23.       4-व्हीलर वाहन शोरूम (सर्विस सेंटर के साथ)       3500-4000         24.       मल्टीप्लेक्स       2000-2500         25.       छात्रावास (01 से 10 कमरे)       1800-2200         26.       छात्रावास (11 से 20 कमरे)       2200-2500         27.       छात्रावास (21 से 50 कमरे)       2500-2800         28.       छात्रावास (50 से अधिक कमरे)       3000-3200         29.       विवाह हॉल / बैंक्वेट हॉल       2500-3500         30.       बार       2500-3500         31.       सरकारी अस्पताल (20 बेड तक)       1800-2500         32.       सरकारी अस्पताल (20 से अधिक बेड)       2800-3000         33.       निर्संग होम/क्लीनिक (20 से अधिक बेड)       2200-2500         34.       निर्संग होम/क्लीनिक (20 से अधिक बेड)       2200-2500         35.       पैथलॉजिकल लेब       1500-2000         36.       निजी अस्पताल (20 बिस्तर तक)       2500-2800         37.       निजी अस्पताल (21-50 बिस्तर तक)       3500-4000         38.       निजी अस्पताल (50 बिस्तर तक)       3500-4000         39.       राइस मिल/अन्य मिल       2000-2500         40.       क्षेत्र में कोई भी उद्योग       2000-2500		*	
25. छात्रावास (01 से 10 कमरे) 1800-2200 26. छात्रावास (11 से 20 कमरे) 2200-2500 27. छात्रावास (21 से 50 कमरे) 2500-2800 28. छात्रावास (50 से अधिक कमरे) 3000-3200 29. विवाह हॉल / बैंक्वेट हॉल 2500-3500 30. बार 2500-3000 31. सरकारी अस्पताल (20 बेड तक) 1800-2500 32. सरकारी अस्पताल (20 से अधिक बेड) 2800-3000 33. निर्संग होम/क्लीनिक (20 बेड तक) 1800-2000 34. निर्संग होम/क्लीनिक (20 से अधिक बेड) 2200-2500 35. पैथलॉजिकल लैब 1500-2000 36. निजी अस्पताल (20 बिस्तर तक) 2500-2800 37. निजी अस्पताल (21-50 बिस्तर तक) 2500-3000 38. निजी अस्पताल (50 बिस्तर तक) 3500-4000 39. राइस मिल/अन्य मिल 2000-2500 40. क्षेत्र में कोई भी उद्योग 3000-4000	23.	4-व्हीलर वाहन शोरूम (सर्विस सेंटर के साथ)	3500-4000
26.       छात्रावास (11 से 20 कमरे)       2200-2500         27.       छात्रावास (21 से 50 कमरे)       2500-2800         28.       छात्रावास (50 से अधिक कमरे)       3000-3200         29.       विवाह हॉल / बैंक्वेट हॉल       2500-3500         30.       बार       2500-3000         31.       सरकारी अस्पताल (20 बेड तक)       1800-2500         32.       सरकारी अस्पताल (20 से अधिक बेड)       2800-3000         33.       निर्संग होम/क्लीनिक (20 बेड तक)       1800-2000         34.       निर्संग होम/क्लीनिक (20 से अधिक बेड)       2200-2500         35.       पैथलॉजिकल लैब       1500-2000         36.       निजी अस्पताल (20 बिस्तर तक)       2500-2800         37.       निजी अस्पताल (21-50 बिस्तर तक)       2500-3000         38.       निजी अस्पताल (50 बिस्तर तक)       3500-4000         39.       राइस मिल/अन्य मिल       2000-2500         40.       क्षेत्र में कोई भी उद्योग       3000-4000	24.	मल्टीप्लेक्स	2000-2500
27. छात्रावास (21 से 50 कमरे) 2500-2800 28. छात्रावास (50 से अधिक कमरे) 3000-3200 29. विवाह हॉल / वैंक्वेट हॉल 2500-3500 30. बार 2500-3000 31. सरकारी अस्पताल (20 बेड तक) 1800-2500 32. सरकारी अस्पताल (20 से अधिक बेड) 2800-3000 33. निर्मंग होम/क्लीनिक (20 बेड तक) 1800-2000 34. निर्मंग होम/क्लीनिक (20 से अधिक बेड) 2200-2500 35. पैथलॉजिकल लेब 1500-2000 36. निजी अस्पताल (20 बिस्तर तक) 2500-2800 37. निजी अस्पताल (21-50 बिस्तर तक) 2500-3000 38. निजी अस्पताल (50 बिस्तर तक) 3500-4000 39. राइस मिल/अन्य मिल 2000-2500 40. क्षेत्र में कोई भी उद्योग 3000-4000	25.	छात्रावास (०१ से १० कमरे)	1800-2200
28. छात्रावास (50 से अधिक कमरे) 3000-3200 29. विवाह हॉल / बैंक्वेट हॉल 2500-3500 30. बार 2500-3000 31. सरकारी अस्पताल (20 बेड तक) 1800-2500 32. सरकारी अस्पताल (20 से अधिक बेड) 2800-3000 33. निर्मंग होम/क्लीनिक (20 बेड तक) 1800-2000 34. निर्मंग होम/क्लीनिक (20 से अधिक बेड) 2200-2500 35. पैथलॉजिकल लैब 1500-2000 36. निजी अस्पताल (20 बिस्तर तक) 2500-2800 37. निजी अस्पताल (21-50 बिस्तर तक) 2500-3000 38. निजी अस्पताल (50 बिस्तर तक) 3500-4000 39. राइस मिल/अन्य मिल 2000-2500 40. क्षेत्र में कोई भी उद्योग 3000-4000	26.	छात्रावास (11 से 20 कमरे)	2200-2500
29.       विवाह हॉल / बैंक्वेट हॉल       2500-3500         30.       बार       2500-3000         31.       सरकारी अस्पताल (20 बेड तक)       1800-2500         32.       सरकारी अस्पताल (20 से अधिक बेड)       2800-3000         33.       निर्संग होम/क्लीनिक (20 बेड तक)       1800-2000         34.       निर्संग होम/क्लीनिक (20 से अधिक बेड)       2200-2500         35.       पैथलॉजिकल लैब       1500-2000         36.       निजी अस्पताल (20 बिस्तर तक)       2500-2800         37.       निजी अस्पताल (21-50 बिस्तर तक)       2500-3000         38.       निजी अस्पताल (50 बिस्तर तक)       3500-4000         39.       राइस मिल/अन्य मिल       2000-2500         40.       क्षेत्र में कोई भी उद्योग       3000-4000	27.	छात्रावास (21 से 50 कमरे)	2500-2800
30.       बार       2500-3000         31.       सरकारी अस्पताल (20 बेड तक)       1800-2500         32.       सरकारी अस्पताल (20 से अधिक बेड)       2800-3000         33.       निर्संग होम/क्लीनिक (20 बेड तक)       1800-2000         34.       निर्संग होम/क्लीनिक (20 से अधिक बेड)       2200-2500         35.       पैथलॉनिकल लैब       1500-2000         36.       निजी अस्पताल (20 बिस्तर तक)       2500-2800         37.       निजी अस्पताल (21-50 बिस्तर तक)       2500-3000         38.       निजी अस्पताल (50 बिस्तर तक)       3500-4000         39.       राइस मिल/अन्य मिल       2000-2500         40.       क्षेत्र में कोई भी उद्योग       3000-4000	28.	छात्रावास (50 से अधिक कमरे)	3000-3200
31. सरकारी अस्पताल (20 बेड तक) 1800-2500 32. सरकारी अस्पताल (20 से अधिक बेड) 2800-3000 33. निर्संग होम/क्लीनिक (20 बेड तक) 1800-2000 34. निर्संग होम/क्लीनिक (20 से अधिक बेड) 2200-2500 35. पैथलॉजिकल लैब 1500-2000 36. निजी अस्पताल (20 बिस्तर तक) 2500-2800 37. निजी अस्पताल (21-50 बिस्तर तक) 2500-3000 38. निजी अस्पताल (50 बिस्तर तक) 3500-4000 39. एइस मिल/अन्य मिल 2000-2500 40. क्षेत्र में कोई भी उद्योग 3000-4000	29.	विवाह हॉल / बैंक्वेट हॉल	2500-3500
32.       सरकारी अस्पताल (20 से अधिक बेड)       2800-3000         33.       नर्सिंग होम/क्लीनिक (20 बेड तक)       1800-2000         34.       नर्सिंग होम/क्लीनिक (20 से अधिक बेड)       2200-2500         35.       पैथलॉजिकल लैब       1500-2000         36.       निजी अस्पताल (20 बिस्तर तक)       2500-2800         37.       निजी अस्पताल (21-50 बिस्तर तक)       2500-3000         38.       निजी अस्पताल (50 बिस्तर तक)       3500-4000         39.       राइस मिल/अन्य मिल       2000-2500         40.       क्षेत्र में कोई भी उद्योग       3000-4000	30.	बार	2500-3000
33.       नर्सिंग होम/क्लीनिक (20 बेड तक)       1800-2000         34.       नर्सिंग होम/क्लीनिक (20 से अधिक बेड)       2200-2500         35.       पैथलॉजिकल लैब       1500-2000         36.       निजी अस्पताल (20 बिस्तर तक)       2500-2800         37.       निजी अस्पताल (21-50 बिस्तर तक)       2500-3000         38.       निजी अस्पताल (50 बिस्तर तक)       3500-4000         39.       राइस मिल/अन्य मिल       2000-2500         40.       क्षेत्र में कोई भी उद्योग       3000-4000	31.	सरकारी अस्पताल ( 20 बेड तक )	1800-2500
34.       नर्सिंग होम/क्लीनिक (20 से अधिक बेड)       2200-2500         35.       पैथलॉजिकल लेब       1500-2000         36.       निजी अस्पताल (20 बिस्तर तक)       2500-2800         37.       निजी अस्पताल (21-50 बिस्तर तक)       2500-3000         38.       निजी अस्पताल (50 बिस्तर तक)       3500-4000         39.       राइस मिल/अन्य मिल       2000-2500         40.       क्षेत्र में कोई भी उद्योग       3000-4000	32.	सरकारी अस्पताल ( 20 से अधिक बेड )	2800-3000
35.       पैथलॉजिकल लेब       1500-2000         36.       निजी अस्पताल (20 बिस्तर तक)       2500-2800         37.       निजी अस्पताल (21-50 बिस्तर तक)       2500-3000         38.       निजी अस्पताल (50 बिस्तर तक)       3500-4000         39.       राइस मिल/अन्य मिल       2000-2500         40.       क्षेत्र में कोई भी उद्योग       3000-4000	33.	नर्सिंग होम/क्लीनिक ( 20 बेड तक )	1800-2000
36.       निजी अस्पताल (20 बिस्तर तक)       2500-2800         37.       निजी अस्पताल (21-50 बिस्तर तक)       2500-3000         38.       निजी अस्पताल (50 बिस्तर तक)       3500-4000         39.       राइस मिल/अन्य मिल       2000-2500         40.       क्षेत्र में कोई भी उद्योग       3000-4000	34.	नर्सिंग होम/क्लीनिक ( 20 से अधिक बेड )	2200-2500
37.       निजी अस्पताल (21-50 बिस्तर तक)       2500-3000         38.       निजी अस्पताल (50 बिस्तर तक)       3500-4000         39.       राइस मिल/अन्य मिल       2000-2500         40.       क्षेत्र में कोई भी उद्योग       3000-4000	35.	पैथलॉजिकल लैब	1500-2000
38.       निजी अस्पताल (50 बिस्तर तक)       3500-4000         39.       राइस मिल/अन्य मिल       2000-2500         40.       क्षेत्र में कोई भी उद्योग       3000-4000	36.	निजी अस्पताल (20 बिस्तर तक)	2500-2800
39.       राइस मिल/अन्य मिल       2000-2500         40.       क्षेत्र में कोई भी उद्योग       3000-4000	37.	निजी अस्पताल (21-50 बिस्तर तक)	2500-3000
40. क्षेत्र में कोई भी उद्योग 3000-4000	38.	निजी अस्पताल (50 बिस्तर तक)	3500-4000
	39.	राइस मिल/अन्य मिल	2000-2500
41. क्षेत्र से बाहर कोई भी उद्योग 2000-2500	40.	क्षेत्र में कोई भी उद्योग	3000-4000
	41.	क्षेत्र से बाहर कोई भी उद्योग	2000-2500

स्रोतः सेप्टेज प्रबंधन के लिए उत्तराखंड राज्य प्रोटोकॉल 2022 से एक संदर्भ लिया गया है।

नोटः 1 उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर फ़ीस) की इन सीमाओं में निकायद्वारा समय-समय पर संशोधन किया जा सकता है

<sup>2.</sup> उपरोक्त श्रेणियाँ प्रति 3000 लीटर फीकल स्लज एवं सेप्टेज सेप्टेज की निकासी पर आधारित हैं। रेंज की ऊपरी सीमा पर विचार करना चाहिए जब अन्य कचरे (पॉलीबैंग की उच्च संख्या, निस्तारण किए गए कपड़े, सैनिटरी पैड, डायपर, कंडोम, प्लास्टिक की बोतलें, अन्य कचरे) को भी व्यापक तरीके से डाला गया हो।

(खंड: 7 (vii) देखें)

### बचाव उपस्कर और सुरक्षा उपकरण

कार्य स्थल पर निम्नलिखित बचाव उपस्कर और सुरक्षा उपकरण उपलब्ध होने चाहिए:-

- (i). शरीर के सुरक्षा वस्त्र मुख्य रूप से पॉलिएस्टर से बने होते हैं, जो रिफ्लेक्टिव होते हैं और रासायन गिरने से शरीर की रक्षा करते हैं
- (ii). शरीर की रक्षा सज्जा / सुरक्षा बेल्ट
- (iii). सर्जिकल फेस मास्क / रेस्पिरेटर जो धूल, धुएं, धुंध और जीवाणुओं आदि से बचाता है
- (iv). सेफ्टी टॉर्च
- (v). भारी रसायन प्रतिरोधी दस्ताने जो यांत्रिक बचाव और खतरनाक सामग्री के छलक कर गिरने से अतिरिक्त सुरक्षा देते हैं और ब्यूटाइल के बने होते हैं
- (vi). संक्रामक पदार्थों को आंखों में जाने से रोकने के लिए रासायनिक छींटे झेलने की क्षमता वाले सेफ्टी गॉगल्स
- (vii). टॉर्च के साथ लगे सेफ्टी हेलमेट (कॉर्डेड) जो अंधेरे में काम करने के लिए मददगार होता है
- (viii). दुबारा इस्तेमाल होने वाला इयरप्लग, जो एक लचीले बैंड से अच्छी तरह जुड़ा होता है जिसे जरूरत न होने पर गर्दन के चारों ओर पहना जा सकता है। ये सिलिकॉन के बने होने चाहिए और वैक्यूम टैंकरों के आसपास उपयोगी होते हैं जहां औसत ध्वनि स्तर 85dBa से अधिक होता है
- (ix). आपातकालीन मेडिकल ऑक्सीजन पुनर्जीवन किट
- (x). गैस मॉनीटर
- (xi). हेड लैंप
- (xii). गाइड पाइप सेट
- (xiii). सेफ्टी ट्राइपॉड सेट
- (xiv). वेडर बूट
- (xv). एयर कंप्रेसर और ब्लोअर
- (xvi). मॉड्यूलर एयरलाइंस सप्लाई ट्रॉली सिस्टम
- (xvii). रेनकोट

(खंड 6 (iii) और 8 देखें)

### नगर निगम/नगर पालिका परिषद ...... Registration form for Private Desludging Operator

**फॉर्म 1:** निकाय (निकाय का नाम) में फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण, परिवहन और निपटान के लिए लाइसेंस आवेदन पत्र

1.	आवेदक का नामः (श्री/सुश्री)ः पताः	फ़ीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने वाले ऑपरेटर/ठेकेदारों का एक पासपोर्ट साइज का फोटो चिपकाएं
3.	पंजीकृत कार्यालय का पताः	
4.	टेलीफोन नंबरः (कार्यालय) (मो.): ईमेल आईडीः	

6.

		मल-कीचड़ साफ	करने वाले वा	हनों का विवरण		
स०न	वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर	वाहनों का प्रकार (ट्रैक्टर-माउंटेड या ट्रक माउंटेड)	प्रतिरूप (मॉडल) संख्या	वैक्यूम टैंकरों/ टैंकर की छमता (लीटर में)	बीमा किस तारीख तक वैध है	टिप्पणी
i						
ii						
iii						
iv						

7.	लाइसेंस की प्रॉसेसिंग फीस के भुगतान का विवरण, नकद
	(रसीद संख्या)

	•	-/• ·	, ,	, _	$\sim$	, .	O+ /	
$\circ$	<del>- 11- 11 1</del>	TT- 1 T-11 -T	† <del>11 11</del>	(स्व-प्रमाणित	T TTT \	/ 🎞	/ <del>                                      </del>	
×	44W14H	um vali an	। स्पद्या	( <del>*</del>	านเกา	(SI	/ 뒤 둘   1 :	
$\circ$	11/1 1	71 (1)	1 /1 -11	/ / ~ N. III . I/	1 /11 /1 /	(0)	/ 1017*	

दस्तावेज़ के प्रकार	हां /नहीं	दस्तावेज़ के प्रकार	हां /नहीं	दस्तावेज के प्रकार	हां /नहीं
पहचान प्रमाण		पता प्रमाण		कर्मचारियों की सूची	
पंजीकरण प्रमाणपत्र		फिटनेस सर्टिफिकेट		बीमा और पॉलिसी अनुसूची के प्रमाण पत्र	
प्रदूषण प्रमाणपत्र		ड्राइविंग लाइसेंस		पासपोर्ट साइज फोटो	

### अनुलग्नकों की कुल संख्याः

मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा कॉलम 1 से 8 में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और

विश्वास के अनुसार सत्य है। में यह भा प्रमाणित करता हूं कि मन सलग्न नियग	मा आर शता का पढ़ आर
समझ लिया है और उनका पालन करने के लिए सहमत हूं। मैं सहमत हूं कि	यदि मेरे द्वारा दी गई कोई
भी जानकारी गलत पाई जाती है तो लाइसेंस के लिए आवेदन किसी भी	समय रद्द करने के लिए
उत्तरदायी होगा।	
	आवेदक के हस्ताक्षर
	दिनांकः

#### नियम और शर्तें

- 1. फीकल स्लज एवं सेप्टेज को केवल एक यूएलबी द्वारा जारी लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा ही संग्रहीत किया जाएगाऔर ढुलाई की जाएगी।
- 2. निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह और ढुलाई के लिए शुल्क यूएलबी द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा। कोई भी अनुज्ञप्तिधारी ऑपरेटर घर/ संपत्ति के मालिक से निर्धारित शुल्क से अधिक कोई राशि नहीं वसूलेगा।
- 3. फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई यूएलबी द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित वाहनों द्वारा ही किया जाएगा।
- 4. लाइसेंसधारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि संग्रह स्थल से निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक दुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज का कोई रिसाव न हो।
- 5. फीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन संचलन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिए किसी भी खतरे से बचने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिए।
- 6. अनुज्ञप्तिधारी केवल निर्दिष्ट शोधन संयंत्र में ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निपटान करेगा।
- 7. फीकल स्लज एवं सेप्टेज के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन पर लाइसेंस की एक प्रति प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी।
- 8. वाहन/टैंकर कर को पीले रंग से पेंट कियाजाएगाजिस पर लालरंग में सावधानी के साथ "septic tank waste" (अंग्रेजी में) और "मलकुंड अपशिष्ट" (हिंदी में) लिखाहोगा।
- 9. निर्दिष्ट उपचार संयंत्र सप्ताह में Xy दिनों पर x: am से y: pm तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करेगा। ऑपरेटरों को तदनुसार अपने डीस्लजिंग संचालन की योजना बनानी चाहिए।
- 10. प्रभावी सफाई सेवाएं प्रदान करने और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए तैनात कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण के लिए लाइसेंसधारी जिम्मेदार होगा।
- 11. उपरोक्त बिंदुओं में से किसी के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा, लाइसेंसधारक की सुरक्षा जब्त कर ली जाएगी और वह इन विनियमों के उल्लंघन के लिए निर्धारित दंड का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

खंड 6 (v) और 8 देखें

## लाइसेंस प्रारूप

नगर निगम/नगर	<del>गावित्रका</del>	ਜਜਿਸਤ	
नगर।नगम/नगर	पाालका	पारपद	•••••
<b>License for Privat</b>	e Desludo	qing Op	erator

**फॉर्म 2:** फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण, ढुलाई और निस्तारण हेतु लाइसेंस प्रदान करना

निकाय (*निकाय का नाम*) में फीकल स्लज एवं सेप्टेज मल-कीचड़ और सेप्टेज के संग्रहण, ढुलाई और निस्तारण के लिए लाइसेंस फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने वाले ऑपरेटर/ ठेकेदार का निकाय मोहर के साथ एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएं

	के द्वारा अनुमति दी जाती है:				
1.	आवेदक का नामः (श्री / सुश्री)ः				
2.	पत्राचार का पताः				
		•			
3.	निकाय (नगर निगम/नगर पालिका)	परिषद/नगर	( <b>पंचायत)</b> का न	नाम ) में फोव	फल स्लज
3.	निकाय (नगर निगम/नगर पालिका सेप्टेजप्रबंधन सेवाएंप्रदान करने केर्ग		•	•	
	निकाय (नगर निगम/नगर पालिका सेप्टेजप्रबंधन सेवाएंप्रदान करने केर्रि मान्यता	<b>लए</b> लाइसेंसर	पंख्याः		
4.	सेप्टेज <b>प्रबंधनसेवाएंप्रदानकरनेकेर्ग</b> मान्यता	<b>लेए</b> लाइसेंसर से			 तक
4.	सेप्टेज <b>प्रबंधन सेवाएंप्रदान करने केर्ा</b> मान्यता	<b>लेए</b> लाइसेंसर से (i)	प्तंख्याः(	ii)	तक तक
4. 5.	सेप्टेज <b>प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने केर्ा</b> मान्यता वाहन (वाहनों) का रजिस्ट्रेशन नंबरः	लेएलाइसेंसर से _ (i) (iii)	प्तंख्याः ( (i	ii)	तक तक
4. 5.	सेप्टेज <b>प्रबंधन सेवाएंप्रदान करने केर्ा</b> मान्यता	लेएलाइसेंसर से _ (i) (iii)	प्तंख्याः ( (i	ii)	तक तक
4. 5.	सेप्टेज <b>प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने केर्ा</b> मान्यता वाहन (वाहनों) का रजिस्ट्रेशन नंबरः	लेएलाइसेंसर से _ (i) (iii)	प्तंख्याः ( (i	ii)	तक तक
4. 5.	सेप्टेज <b>प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने केर्ा</b> मान्यता वाहन (वाहनों) का रजिस्ट्रेशन नंबरः	लेएलाइसेंसर से _ (i) (iii)	प्तंख्याः ( (i	ii)	तक तक

## नियम और शर्तें

- 1. फीकल स्लज एवं सेप्टेज को केवल एक यूएलबी द्वारा जारी लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा ही संग्रहीत किया जाएगाऔर ढुलाई की जाएगी।
- 2. निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह और ढुलाई के लिए शुल्क यूएलबी द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा। कोई भी अनुज्ञप्तिधारी ऑपरेटर घर/ संपत्ति के मालिक से निर्धारित शुल्क से अधिक कोई राशि नहीं वसूलेगा।
- 3. फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई यूएलबी द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित वाहनों द्वारा ही किया जाएगा।
- 4. लाइसेंसधारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि संग्रह स्थल से निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक दुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज का कोई रिसाव न हो।
- 5. फीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन संचलन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिए किसी भी खतरे से बचने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिए।
- 6. अनुज्ञप्तिधारी केवल निर्दिष्ट शोधन संयंत्र में ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निपटान करेगा।
- 7. फीकल स्लज एवं सेप्टेज के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन पर लाइसेंस की एक प्रति प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी।
- 8. वाहन/टैंकर कर को पीले रंग से पेंट कियाजाएगाजिस पर लालरंग में सावधानी के साथ "septic tank waste" (अंग्रेजी में) और "मलकुंड अपशिष्ट" (हिंदी में) लिखाहोगा।
- 9. निर्दिष्ट उपचार संयंत्र सप्ताह में Xy दिनों पर x: am से y: pm तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करेगा। ऑपरेटरों को तदनुसार अपने डीस्लजिंग संचालन की योजना बनानी चाहिए।
- 10. प्रभावी सफाई सेवाएं प्रदान करने और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए तैनात कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण के लिए लाइसेंसधारी जिम्मेदार होगा।
- 11. उपरोक्त बिंदुओं में से किसी के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा, लाइसेंसधारक की सुरक्षा जब्त कर ली जाएगी और वह इन विनियमों के उल्लंघन के लिए निर्धारित दंड का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(खंड 13 (॥), 20 (॥) देखें)

## फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड

	1 11	वहन और निपटान का रिकॉर्ड	
(यूएलबी का नाम) में मल कीचः रखने के लिए	ड़ और सेप्टेज	के संग्रह, परिवहन और निपत	ग्रन का रिकॉर्ड बन
दिनांक :		। समयः	
I. ऑनसाइट सिस्टम के मालि	क का विवर	ग	
1. नामः			
2. पताः			
(क) वार्ड संख्याः			
(क) टेलीफोन नं.:			
II. रोकथाम			
1 निर्माण का वर्ष	२. पिछला	कीचड़ निकालना (MM/YY	vv ).
	): 4	. यदि हां, तो किससे जुड़ा है:	
2. आउटलेट मौजूद (हां/नहीं	): 4	. यदि हां, तो किससे जुड़ा है:	
<ol> <li>आउटलेट मौजूद (हां/नहीं 3. रोकथाम के प्रकारः (चेक</li> </ol>	)ः 4 बॉक्स में उपयु	. यदि हां, तो किससे जुड़ा है: क्त विकल्प चुनें) 	
<ol> <li>आउटलेट मौजूद (हां/नहीं 3. रोकथाम के प्रकारः (चेक रोकथाम के प्रकार</li> </ol>	)ः 4 बॉक्स में उपयु	. यदि हां, तो किससे जुड़ा है: क्त विकल्प चुनें) रोकथाम के प्रकार	
<ol> <li>आउटलेट मौजूद (हां/नहीं</li> <li>रोकथाम के प्रकारः (चेक रोकथाम के प्रकार सेप्टिक टैंक ट्विन</li> </ol>	)ः 4 बॉक्स में उपयु	. यदि हां, तो किससे जुड़ा है: क्त विकल्प चुनें) रोकथाम के प्रकार ट्वीन पिट (पंक्तिबध	

- 4. रोकथाम का आकार और आकारःनियंत्रण का प्रकार नियंत्रण का प्रकार टिक करें
- 5. संपत्ति के भीतर रोकथाम का स्थान (चेकबॉक्स में नीचे उपयुक्त विकल्प चुनें)

घर में स्थान	सही करें	घर में स्थान	सही करें
घर के पिछले हिस्से में		एक कमरे के फर्श के नीचे	
घर के सामने की तरफ		अन्य	

### III. कीचड़ साफ करना

1. फीकल स्लज एवं सेप्टेज की मात्रा (लीटर) 2. कीचड़ निकालने वाला समयः	में लगने
3. ट्रिप की लंबाई (किमी)ः 4. आने-जाने में समयः	
IV. कीचड़ साफ करने वाले सेवा प्रदाता का विवरण	
ऑपरेटर का नामः	
ड्यूटी पर खाली स्टाफ FSSTP ऑपरेटरः	

ड्यूटी पर टेंक सफ़ाई स्टाफ़ के हस्ताक्षर उपचार सुविधा ऑपरेटर का हस्ताक्षर

## परिशिष्ट-7

(खंड 21 (i) और 27 (ii) देखें)

### होस्ट यूएलबी तथा बिना उपचार संयंत्र वाले निकाय के बीच समझौता ज्ञापन प्रारूप

**फॉर्म 4:** "होस्ट यूएलबी" पर उपलब्ध "उपचार संयंत्र" में फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति के लिए समझौता ज्ञापन।

होस्ट निकायके उपचार संयंत्र पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमित हेतु निकाय(नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत) और होस्ट निकाय(होस्ट निकायका नाम) के बीच समझौता ज्ञापन के लिए फॉर्म

फीकल स्लज एवं सेप्टेज एवं सेप्टेज प्रबंधन के तहत, एक्सवाईजेड निकाय(संपर्क करने वाले निकायका नाम) की प्रशासनिक सीमाओं के भीतर घरों, सार्वजनिक / सामुदायिक शौचालयों के नियंत्रण से आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज और सेप्टेज (फीकल स्लज एवं सेप्टेज) के सुरक्षित निस्तारण हेतु जरूरी शर्तें पूरा करने के लिए, "होस्ट यूएलबी" (होस्ट निकायका नाम) के प्रशासन के तहत "उपचार संयंत्र" पर, समझौता।

प्रथम पक्ष "होस्ट यूएलबी" (होस्ट निकायका नाम)

द्वितीय पक्ष "एक्सवायजेड यूएलबी" (संपर्क करने वाले निकायका नाम)

### उपबंधः

- 1. यह कि "प्रथम पक्ष" दिनांक दिन/महीना/वर्ष (प्रारंभ तारीख) से दिन/महीना/वर्ष (प्रारंभ तारीख) तक "द्वितीय पक्ष" की प्रशासनिक सीमाओं से उनके "उपचार संयंत्र" पर आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमित देगा।/वर्ष (अंतिम तिथि)
- "प्रथम पक्ष " अपने प्रशासनिक क्षेत्र से आने वाले भार से समझौता करने से बचने के लिए अपने "उपचार संयंत्र" पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की दैनिक अनुमत मात्रा की जानकारी देगा।
- 3. यह कि "द्वितीय पक्ष" समझ के अनुसार "प्रथम पक्ष" को फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण के प्रति खेप टिपिंग शुल्क के रूप में रु. xxx देने के लिए सहमत है।

- 4. यह कि "प्रथम पक्ष" उपचार सुविधा के संचालन का समय, अनुमत पहुंच मार्ग, फीकल स्लज एवं सेप्टेज की अनुमत मात्रा, उपचार सुविधा का रखरखाव बंद आदि आवश्यक विवरण समय-समय पर साझा करेगा।
- 5. कि उपरोक्त कार्यों को करते समय बीच में आने वाली किसी भी कठिनाई को दोनों पक्ष मिलकर सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाएं।
- 6. कि "द्वितीय पक्ष" केवल लाइसेंसधारी फीकल स्लज निकासी ऑपरेटर को प्रथम पक्ष की उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण की अनुमित देगा।
- 7. प्रथम पक्ष उपचार सुविधा में उनके लाइसेंस पर "द्वितीय पक्ष" की मुहर के साथ लाइसेंसधारी ऑपरेटर का प्रवेश सुनिश्चित करेगी।

प्रथम पक्ष नगर आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी का हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष अधिशाषी अधिकारी का हस्ताक्षर

## परिशिष्ट-8 जुर्माना और फाइन

क्रम संख्या	विवरण	खंड संख्या	सांकेतिक फाइन सीमा (₹ में)	जुर्माना (₹ या किसी अन्य पीनल एक्शन में)
1.1	नाला/सड़क/खुले क्षेत्र में अपशिष्ट जल का सीधा/असुरक्षित प्रवाह	3	50-100	
1.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	3	50-100	
1.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	3	10-15 प्रति दिन	संपत्ति की जब्ती
2.1	ओएसएस का अवैज्ञानिक डिजायन और निर्माण	5	100-150	
2.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	5	100-150	
2.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	5	10-15 प्रति दिन	संपत्ति की जब्ती
3.1	बिना निकाय पंजीकरण के वैक्यूम टैंकर परिचालित करना	6	50-100	
3.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	6	50-100	
3.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	6	150-200 प्रति दिन	वाहन की जब्ती
4.1	आकस्मिक बिखराव में भाग लेने के लिए गैर-अनुपालन	16,17	1000-1500	
4.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	16,17	1000-1500	
4.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	16,17	300 प्रति दिन	वाहन की जब्ती
5.1	एसटीपी से अनुपचारित FSS प्रवाहित करना	27,28,33	5000-10000	

5.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	27,28,33	5000-10000	
5.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	27,28,33	1000-1500 प्रति दिन	संपत्ति की जब्ती
6.1	निकायद्वारा अधिसूचित स्थल के अलावा अन्य स्थल पर अनुपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रवाहित करना	6,7,14,27, 28,29	5000-10000	
6.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	6,7,14,27, 28,29	5000-10000	
6.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	6,7,14,27, 28,29	1500-2000 प्रति दिन	वाहन की जब्ती

**नोट:** जुर्माने और जुर्माने की उपरोक्त तालिका पर नगर स्वच्छता समिति के सदस्यों के बीच पहले चर्चा की जानी चाहिए। शहर में यूएलबी जिस स्तर की सख्ती का पालन करना चाहता है, उसके आधार पर इसे समय-समय पर संशोधित भी किया जा सकता है।

# परिशिष्ट-9 संदर्भित दस्तावेज (खंड 37 देखें)

<b>फॉर्म 5:</b> अपेलेट बॉडी के पास अपील हेतु ज्ञापन, अपेलेट बॉडी के पा प्राधिकार के पास	स अपील हेतु ज्ञापन का फॉर्म, "अपीली
	(पदनाम)
1. आवेदक का पूरा नामः	
2. आवेदक का पताः	
3. नगरपालिका अधिकारी का विवरण जिसके आदेश के विरुद्ध अपील व	क्री गई
नामः पदः	
4. उस आदेश के प्राप्त करने की तारीख जिसके विरुद्ध अपील की गई: _	
5. अपील दायर करने की तारीख;	
6. सूचना विवरण	
क. संक्षेप में अपील की विषय-वस्तु (जिस आदेश के विरूद्ध अपील	की गई है उसकी प्रति संलग्न करें)
ख. अपील का आधार (इनमें से किसी का विवरण अलग शीट में संव	लग्न किया जाना है)
सत्यापन	
मैं, ( अपीलकर्ता	का नाम ), पुत्र/पुत्री/पत्नी
एतदद्वारा घोषित करता/करती हूँ कि अपील में दिए गए विवरण मेरे सर्वोत्तम	
सही हैं और मैंने किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं है।	
	अपीलकर्ता का हस्ताक्षर
स्थानः	तिथिः

अनुलग्नक के रूप में जमा किए गए प्रलेखः		
1		
2		
यहाँ फाडें		
पावती		
संख्या	तिथिः	
अनुलग्नक फॉर्म के साथ प्राप्त अपील ज्ञापन		
स्थानः	নিখি:	

अधिकृत अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर आदेश से (नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत का नाम)

> (नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी की मुहर एवं हस्ताक्षर) (नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत का नाम)

## परिशिष्ट-10

(खंड 40 देखें)

### संदर्भित दस्तावेज

(इन आदर्श उपविधियों की रचना निम्नलिखित अधिनियमों व अन्य राज्य की उपविधियों का अध्ययन करके किया गया है)

### निकाय द्वारा मार्ग दर्शन के लिए निम्नलिखित प्रलेखों के नवीनतम संस्करण का उपयोग किया जा सकता है:

- 1. उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916
- 2. उत्तर प्रदेश सेप्टेज प्रबंधन नीति, 2019 नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।
- 3. बिजनौर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन उपविधि, 2022, कार्यालय राजपत्र प्रयागराज, उत्तर प्रदेश सरकार।
- 4. सलाहकार नोटः शहरी भारत में सेप्टेज प्रबंधन, 2013, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
- 5. उत्तर प्रदेश में फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश, 2018, शहरी विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।
- 6. एकीकृत फीकल स्लज एवं सेप्टेज, सेप्टेज और अपशिष्ट जल प्रबंधन रणनीति सह दिशानिर्देश, 2019, चुनार नगर पालिका परिषद, उत्तर प्रदेश
- 7. आईएसः 2470 1985, सेप्टिक टैंक की स्थापना और सेप्टिक टैंक के प्रवाह के निस्तारण के लिए भारतीय मानक संहिता, भारतीय मानक ब्यूरो,
  - (क) (भाग।) डिजाइन शर्तें और निर्माण
  - (ख) (भाग॥) द्वितीयक उपचार और सेप्टिक टैंक के तरल पदार्थ का निस्तारण।
- 8. सीवरेज और मलजल उपचार प्रणाली पर मैनुअल, 2013, केंद्रीय लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण और पर्यावरण संगठन, भारत सरकार।
- 9. बिना नेटवर्क तकनीकी पर मेन्यू, 2019, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, नई दिल्ली।
- फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति, 2017, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय,
   भारत सरकार।

- 11. राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति, 2008, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
- 12. फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन (फीकल स्लज एवं सेप्टेज) के उपविधि, 2020, सेप्टेज प्रबंधन के लिए उत्तराखंड राज्य प्रोटोकॉल।
- 13. फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन पर नीति, 2018, तेलंगाना सरकार।
- 14. तमिलनाडु सरकार का राजपत्र, 2022, फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन पर उपविधि।
- 15. सेप्टेज प्रबंधन प्रैक्टिशनर गाइड, 2017, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र।
- 16. सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए मानक संचालन प्रक्रिया, 2018, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
- 17. फीकल स्लज एवं सेप्टेज / सेप्टेज, 2019, के लिए उथली और गहरी खाइयों पर तकनीकी नोट जल, स्वच्छता एवं स्वच्छता संस्थान, नई दिल्ली
- 18. प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट, 2013 कानून एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार

फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन के लिए राज्य मॉडल उपविधि



सेंटर फॉर साइंस एण्ड एनवायरनमेंट 41, तुगलकाबाद इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110 062 फोनः 91-11-40616000, फैक्सः 91-11-29955879 वेबसाइटः www.cseindia.org